फार्म 'अ'

(परिपत्र दो–1 की कण्डिका 6 देखिये)

## राजस्व आदेश पत्र(रेव्हेन्यू ऑर्डर शीट)

य अधिकारी(रा0) कोरबा के न्यायालय में मामला क्रमांक 20250508100061 / 2024–2025

.....अवैध रूप से सूखा वृक्ष परिवहन.....मामले की श्रेणी.....अ–62.....सन्.....2024–2025

.....भैसमा.....बन्दोबस्त क्रमांक.....पटवारी हल्का कमांक.....तहसील.....भैसमा.....

कलेक्टर का कमांक.....सन्.....अनुविभागीय अधिकारी का कमांक .....सन्.....2024–2025

तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....नायब तहसीलदार का क्रमांक.....सन्.....

| आदेश कमांक कार्यवाही की तारीख और स्थान | पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सहित आवेदन पत्र अथवा कार्यवाही<br>छ0ग0शासन बनाम विजय कंवर | जहां आवश्यक हो, पक्षों अथवा वकीलों के हस्ताक्षर, आदेशों का पालन करने वाले लिपिक के संक्षिप्त हस्ताक्षर और इसे पालन की तारीख |
|---|---|---|
| 19/5/25 | –कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा परिक्षेत्र कोरबा के पत्र कमांक /के0बी0/748 कोरबा, दिनांक 15/05/2025 के अनुसार रात्रि गस्त के दौरान भैसमा बेरियर में वाहन के जॉच कर रहे थे तभी धरमजयगढ़ की ओर से वाहन कमांक सी0जी0–04 पी0आर0 8522 की जॉच किया गया, जिसमें सूखे आम लकड़ी लोड था चालक से पूछताछ किया गया उसके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया तब परिक्षेत्र सहायक कोरबा के द्वारा भैसमा बेरियर से निस्तार डिपो कोरबा लाया गया वाहन चालक विजय कंवर पिता गोविन्द सिंह कंवर, साकिन– झाबर थाना दीपका, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा के द्वारा रायपुर से सीतापुर माल लेकर गया था वापसी भाड़ा हेतु किसान जगराम की बाड़ी की सूखी आम लकड़ी को उनके द्वारा अपने गाड़ी में लोड कर परिवहन कराया जा रहा था, जिन्हें ज्ञात नहीं था कि आम लकड़ी के लिये भी परिवहन टी0पी0 की आश्यकता होती है एवं उक्त कृत्यं हेतु वाहन मालिक खेद व्यक्त कर रहा है। परिवहन किया जा रहा आम लकड़ी किसान के निजी भूमि होने के कारण प्रकरण छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959(क0–20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा(2) के खण्ड (इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाह हेतु प्राप्त हुई।<br>–प्रकरण ऑन लाईन दर्ज हो।<br>–प्रकरण में संलग्न वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा के प्रतिवेदन का अवलोकन किया।<br>– छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड (इकसठ) में धारा 240(1) के अधीन वृक्षां को काटे जाने का तथा धारा 240(3) के अधीन वनोत्पाद(फारेस्ट ग्रोथ) के नियंत्रण, प्रबंध, काट कर गिराए जाने या हटाए जाने का विनियमन एवं (आसठ) की धारा 241 के अधीन प्रकाशित आदेश को उद्घोषित करने की रीति का विहित किया जाना तथा उसक अधीन वृक्षों के काट कर गिराए जाने या हटाए जाने का विनियमन उल्लेखित है। | विजय सिंह |

–छ0ग0भू0रा0संहिता नियम(धारा 240) वृक्षों के काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम 3.छत्तीागढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993(क0–1 सन् 1994) की धारा 13 के अंतर्गत गठित ग्राम पंचायत के युक्तियुक्तरूपेण आहूत की सभा में पारित किए गए विधिमान्य संकल्प के बाद ग्राम पंचायत द्वारा प्रदत्त की गई लिखित अनुमति से निम्नांकित प्रजातियों के पेड़ जो शुष्क हो गए, अथवा शुष्क हो रह हों काटे जा सकेंगे–

आम, जामुन, इमली, महुआ, चंदन, खजूर को छोड़क छिंद ताड़ एवं पास की सभी अन्य प्रजातियॉ, हर्जा, नीम, कदंब

किन्तु किन्हीं अन्य स्थितियों में अर्थात जब कि वृक्ष शुष्क हो गए हों, अथवा शुष्क हो रहे हो, से पृथक दशा में उपरोक्त प्रजातियों के पेड़ जिलाधीश की लिखित अनुमति के बगैर काटे नहीं जाऐंगे।

–अनावेदक विजय कंवर पिता गोविन्द सिंह कंवर, निवासी– झाबर, थाना–दीपका, तहसील– कटघोरा के द्वारा रायपुर से सीतापुर माल लेकर गया था। वापसी में भाड़ा के चक्कर में किसान जगराम की बाड़ी की सुखी आम लकड़ी को गाड़ी में लोड किया गया। आम लकड़ी के परिवहन के लिये टी0पी0 की आवश्यकता होती है जिसकी जानकारी नहीं होने के कारण गलती हुई है।

–अनावेदक वाहन चालक विजय कंवर पिता गोविन्द सिंह कंवर, निवासी– झाबर,, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा, छ0ग0 के द्वारा छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उपधारा(2) के खण्ड (इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंधन किया गया है।

–अतः छ0ग0भू0रा0संहिता में उल्लेखित धारा 258 की उपधारा(2) के खण्ड (इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों का स्पष्ट उल्लंधन होने से अनावेदक विजय कंवर पिता गोविन्द सिंह कंवर, निवासी– झाबर, थाना–दीपका, तहसील– कटघोरा, जिला–कोरबा, छ0ग0 को 500/– रूपये( पॉच सौ रूपये) की शास्ति अधिरोपित किया जाता है। जप्त शुदा लकड़ी को राजसात करने एवं जप्त वाहन कमांक सी0जी0–04, पी0आर0 8522 को किसी अन्य प्रकरण में जप्त न किया गया हो तथा अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे निर्मुक्त करने का आदेश पारित किया जाता है। अनावेदक आदेशानुसार अर्थदण्ड की राशि जमा करें। आदेश की प्रति उप वनमण्डलाधिकारी कोरबा, उप वन मंडल दक्षिण कोरबा, वन परिक्षेत्राधिकारी कोरबा को प्रेषित किया जावे।

–तत्पश्चात् प्रकरण नस्तीबद्ध कर दाखित दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कोरबा, छ0ग0